

पुलिस यातना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गोरखपुर पुलिस द्वारा दी गई यातनाओं से कानपुर नवासी कारोबारी की मृत्यु हो गई। इस मृत्यु ने भारत में पुलिस द्वारा लोगों के वरिद्ध हिसा के प्रयोग एवं हरिसत में मृत्यु जैसे वषियों को पुनः चर्चा का वषिय बना दिया है।

प्रमुख बदि

- गैर-सरकारी संस्था 'कॉमन काज' की रपिर्ट 'स्टेटस ऑफ पुलसिगि इन इंडिया' के अनुसार, प्रत्येक 5 में से 3 पुलसि अधिकारियों का मानना है कि अपराधियों के वरिद्ध हिसा का प्रयोग उचित है। वहीं एक अन्य रपिर्ट के अनुसार पुलसि के वरिद्ध 2000 से 2018 के बीच 2000 से अधिक मानवाधिकार उल्लंघन के मामले दर्ज किये गए हैं।
- पुलसि द्वारा हिसा के लिये उत्तरदायी कारक-
 - भारत में यातना के वरिद्ध कानूनों की अनुपस्थिति।
 - पुलसिकर्मियों के वरिद्ध मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में कार्यवाही का न होना।
 - पुलसि सुधारों की धीमी गति।
 - दोषसिद्धि की नमिन दर।
- पुलसि यातना रोकने के लिये प्रावधान-
 - डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि यातनाओं के वरिद्ध संरक्षण अनुच्छेद-21 में दिये गए जीवन के अधिकार के तहत एक मूल अधिकार है।
 - दंड प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 41A, 41B, 41C, 41D में गरिफ्तारी एवं नरिोध (Detention) के लिये तार्ककि आधार एवं नयिम बताए गए हैं।
 - भारतीय दंड संहिता की धाराएँ- 330, 331, 348
 - भारतीय साक्ष्य अधिनयिम धारा- 25 और 26
- उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा 'यातना के वरिद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय' पर हस्ताक्षर करने के बावजूद उसकी पुष्टि अब तक नहीं की गई है।